रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941
No. 453] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2019

“भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियम, 2019"

मा सं उ L001181723/ स्टाफ सा. (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मंडल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) विनियम, 2001 (जिन्हें इसके पश्चात मूल विनियम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा), विनियम, 2001 में एतदद्वारा निम्नवत संशोधन करता है।

1. इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियम, 2019 कहा जाएगा।

2. ये संशोधन 09 नवंबर, 2019 से प्रभावी होंगे।

3. मूल विनियमों के विनियम 21 के उप-विनियम (9) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा: "इस विनियम या किसी अन्य विनियम में निहित कुछ के बावजूद, यदि किसी कर्मचारी के लघु उद्योग बैंक की सेवा में रहते हुए या सेवा मुक्त हो जाने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, तो यह मानते हुए कि कर्मचारी सेवा में ही है, वह अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विवेक पर, उसके बाद भी जारी रखी जाएगी और पूरी की जाएगी, हालांकि, उक्त कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही की निरंतरता और निष्कर्ष के विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही सेवा में रहना समझा जाएगा।

   स्पष्टीकरण: 'अनुशासनात्मक कार्यवाही' में इन विनियमों के तहत, किसी कर्मचारी का निलंबन या किसी कर्मचारी को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही “क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए” के लिए जारी किया गया नोटिस या इन विनियमों के विनियम 47 के तहत किसी कर्मचारी को कोई आरोप-पत्र जारी किया गया हो, शामिल होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक उसे लंबित समझा जाएगा।“

4. मूल विनियमों के विनियम 47 के उप-विनियम (सी) में 2 ए के रूप में इस आशय का एक नया खंड जोड़ा जाएगा, जिसमें यह अभिप्रेत होगा कि :

"2A. जब भी अनुशासनिक प्राधिकारी यह मत व्यक्त करता है कि कर्मचारी जो, सेवानिवृत्ति के बाद पुन: धारित सेवा सहित, सेवा-बाह्य हो गया है, के विरुद्ध उसकी सेवा-अवधि के दौरान के किसी भी प्रकार के गंभीर कदाचार या असावधानी संबंधी किसी भी प्रकार की सच्चाई की पड़ताल के आधार हैं, तो उस भूतपूर्व कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ कर सकता है।

बशर्ते, ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाहियों के लिए प्रयोज्य कानूनी संव्यवहार की प्रक्रिया इन विनियमों में विनिर्दिष्ट उसकी प्रक्रिया के अनुसार तथा जैसा सेवारत कर्मचारियों के प्रयोज्य हो, लागू होगी।

बशर्ते, ऐसे मामलों में अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जाएगी और ऐसी किसी भी घटना या कार्रवाई के कारण के संबंध में ऐसी कार्रवाई प्रयोज्य नहीं होगी, जो इस प्रकार की संस्थापना से चार वर्ष से अधिक समय से पूर्व घटित हुई हो।

बशर्ते, विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित परिणाम को बैंक के निदेशक-मंडल को सूचित किया जाएगा।"

एस. एन. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./340/19]

यह प्रमाणित किया जाता है कि नई दिल्ली में 09 नवंबर, 2019 को आयोजित बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास **बैंक के निदेशक मंडल** ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियम, 2019 को अनुमोदित और अंगीकृत किया था।

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Lucknow, the 29th November, 2019

"Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2019"

HRV No. L001181723/Staff. Gen. (2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Staff) Regulations, 2001(hereinafter referred to as 'Original Regulations'), namely :-

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2019.
2. These Amendments shall come into force with effect from November 09, 2019.
3. The Sub-Regulation (9) of Regulation 21 of the Original Regulations shall be substituted by the following :- "Notwithstanding anything contained in this Regulation or any other Regulations, in case disciplinary proceedings have been initiated against an employee before or after the employee ceases to be in the service of the Small Industries Bank, the disciplinary proceedings may, at the discretion of the Disciplinary Authority, be thereafter continued and concluded as if the employee continues to be in the service, so however, that the employee shall be deemed to be in the service only for the specific purpose of the continuance and conclusion of the such proceedings.

   Explanation : 'Disciplinary Proceedings' shall include a suspension of an employee under these Regulations, or any notice issued to an employee asking the employee to show cause as to why disciplinary proceedings should not be initiated against the employee, or any charge-sheet issued to an employee under Regulation 47 of these Regulations and will be deemed to be pending till final order is passed by the competent authority."

4. After Sub-Regulation 2 of Regulation 47(C) of the Original Regulations, the following Sub-Regulation shall be inserted, namely: -

   "2A. Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds of inquiring into the truth of any grave misconduct or negligence during the period of service of the employee, who has since ceased to be in the service, including the service rendered upon re-employment after retirement, it may initiate disciplinary proceedings against the former employee.

Provided that the procedure applicable to departmental proceedings in such cases shall be in accordance with the procedure as contained in these regulations and as applicable to serving employees.

Provided that the Disciplinary proceedings in such cases shall not be instituted without the prior approval of the Chairman and shall not be in respect of any event or cause of action which took place more than four years before such institution.

Provided that the outcome of the departmental proceedings shall be reported to the Board of the Bank."

S. N. SINGH, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./340/19]

Certified that the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India in its meeting held on November 09, 2019 at New Delhi has approved and adopted the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.11 19:50:54 +05'30'